न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी :– सुभाष चन्द्र आर.ए.एस..

मैनुअल प्र.सं. : 38 / 2021
जीसीएमएस : 2021 / 537

01. मनफूल पुत्र प्रभुराम जाति ब्राहाम्ण साकिन 28 एमएल (बी) तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
02. ईकबालसिंह पुत्र लखवीरसिंह जाति जटसिख साकिन 28 एमएल (बी) तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
03. गुरदयालसिंह पुत्र मुखत्यार सिंह जाति जटसिख साकिन 28 एमएल (बी) तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
04. गुरदयाल सिंह पुत्र मुखत्यार सिंह जाति जटसिख साकिन 28 एमएल (बी) तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।

–:प्रार्थी

बनाम

1. गुरजंटसिंह पुत्र काका सिंह जाति जटसिख साकिन 28 एमएल (बी) तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
2. स्वर्ण सिंह पुत्र दलसिंह जाति जटसिख साकिन 28 एमएल (बी) तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
3. सदासुख पुत्र डूंगर राम जाति कुम्हार साकिन 28 एमएल (बी) तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) रायसिंहनगर।
5. गीता देवी पत्नी श्योनाथ जाति कुम्हार साकिन 53 एनपी तहसील रायसिंहनगर।
6. विमला पत्नी नानक राम जाति कुम्हार साकिन 53 एनपी तहसील रायसिंहनगर।
7. सावत्री पत्नी पाला राम जाति कुम्हार साकिन 27 जीबी (यादवों की ढाणी) तहसील श्री विजयनगर।
8. रानी पत्नी राधाकृष्ण जाति कुम्हार साकिन 5 बीएलएम तहसील श्री विजयनगर।
9. मंगतु राम पुत्र सदासुख जाति कुम्हार साकिन 28 एमएल तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
10. सुखी देवी पत्नी लालचन्द्र जाति कुम्हार साकिन 28 एमएल तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
11. धर्मपाल पुत्र लालचन्द्र जाति कुम्हार साकिन 28 एमएल तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
12. सेमा देवी पुत्री लालचन्द्र जाति कुम्हार साकिन 28 एमएल तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।

–:अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

तारीख रजू:– 06.10.2021

उपस्थित अधिवक्ता:–

1. श्री हरपालसिंह सुधन प्रार्थी अधि.।
2. श्री परिवन्द्र बिश्नोई अधि. अप्रार्थी सं. 1।

––निर्णय––

दिनांक 30.07.2025

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क की उपधारा (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हमारी जोत [illegible] एमएल (बी) के मु.नं. 21 (111/286) के कि.नं. 11 ता 25 [illegible] 3.16 [illegible] में 1/7 हिस्सा प्रार्थी संख्या 1 के नाम (जिसके कि.न. 16 [illegible] संख्या 1 की ढाणी बनी हुई है) एवं कि.नं. 10 ता [illegible] संख्या 2 के नाम तथा मुरब्बा नं. 12 (11[illegible]) [illegible] 25 में 2.859 है. में 1391/2859 हिस्सा प्रार्थी संख्या 3 के नाम एवं 484/953 हिस्सा प्रार्थी संख्या 4 के नाम है। प्रार्थीगण को अपनी इस जोत में जाने के लिये पिछले 50 वर्षों से अप्रार्थीगण के ग्राम 28 एमएल (बी) के

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.08.05 16:38:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) रायसिंहनगर
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

मुरब्बा नं. 20 (110/286) के कि.नं. 11 ता 15 की उतरी दिशा में डेढ़–डेढ़ बिस्वा कुल साढे 7 बिस्वा सुखाधिकार के अधिकार के रूप में रास्ता है जिसमें कि.नं. 11 ता 13 अप्रार्थी संख्या 1 के नाम, 14 अप्रार्थी संख्या 2 के नाम एवं 15 अप्रार्थी संख्या 3 के नाम है। अप्रार्थीगण द्वारा पिछले दिनों यह आम रास्ता बंद कर दिया गया। जिस पर प्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 5 को आवेदन करने पर दिनांक 22.09. 2021 को आपसी राजीनामा से अप्रार्थीगण द्वारा रास्ता पुनः शुरू किया गया। लेकिन इसके बाद दिनांक 30.09.2021 को अप्रार्थीगण द्वारा रास्ता पुनः बंद करने का प्रयास किया गया। अप्रार्थीगण की जोत में यह चालू रास्ता की अप्रार्थीगण को आत्यंतिक आवश्यकता है एवं इसके अलावा प्रार्थीगण को अपनी जोत में पहुचने के लिए और कोई वैकल्पिक छोटा या लंबा रास्ता नहीं है और यह रास्ता सामान्य जनता के रास्ता के अधिकार के रूप में सृजित है। जिसे रास्ता के रूप में मंजूर किया जाना न्यायहित में अत्यंत आवश्यक है अन्यथा प्रार्थीगण के विधिक अधिकारों का हनन एवं अपूर्णीय क्षति होगी। प्रार्थीगण दिनांक 04.10.2021 को अप्रार्थीगण के पास रास्ता मंजूरी के लिए गए तो अप्रार्थीगण रास्ता मंजूर करवाने से स्पष्ट इंकार हो गए और शीघ्र ही आपराधिक बल और हिंसा का प्रदर्शन कर रास्ता पुनः बंद करने की धमकी दी। यही तारीख पैदा होने बिनाय दावा बिनाय मुखास्मत है। यह कि प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में उचित न्याय शुल्क पर अंदर मियाद पेश है अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम 28 एमएल बी तहसील रायसिंहनगर के मुरब्बा नं. 20 पं.नं. 110/286 के कि.नं. 11 ता 15 की उतरी दिशा में डेढ़–डेढ़ बिस्वा कुल साढे 7 बिस्वा रास्ता मंजूर किए जाने के आदेश दिये जावे।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजि. नोटिस तलब किया गया एवं तहसीलदार रायसिंहनगर से मौका जांच रिपोर्ट हेतु पत्र जारी किया गया है। अप्रार्थी सं. 1 की तरफ से श्री पलविन्द्र बिश्नोई–सोहन वर्मा अधिवक्ता ने वकालतनामा व जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया है कि आवेदकगण द्वारा चाहा गया रास्ता भी विधि प्रावधानों के अनुसार अनुरूप नहीं है रास्ता स्वीकृति हेतु यह सामान्य सिद्वान्त है कि रास्ता मुरब्बाजात के पत्थर लाईन पर ही स्वीकृत होना न्यायोचित है, जबकि आवेदगण द्वारा मुरब्बा नं. 20 पं.नं. 110/286 के कि.नं. 11 ता 15 के मध्य से रास्ता हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। अनावेदक जवाब कर्तागण को मुरब्बा नं. 21 में जाने हेतु मुरब्बा नं. 21 के कि.नं. 21 में अस्वीकृत रास्ता आवाजाही हेतु प्राप्त हैं जो वर्तमान में प्रचलित रास्ता है। इसके अतिरिक्त मुरब्बा नं. 21 में आवागमन हेतु एम एल माईनर की ओर से कि.नं. 5 से भी रास्ता भी उपलब्ध है। प्रस्तावित रास्ता से [illegible] में विभक्त हो जायेगी, जिससें उसे पानी लगाने [illegible] पूर्णतया असुविधा का सामना करना पड़े[illegible]है। नियमानुसार मुरब्बा नं. 20 के पत्[illegible]जो मुरब्बा [illegible] से चिपती हुई है पर ही रास्ता स्वीकृत होना [illegible] के मुरब्बाजात को कोई स्वीकृत रास्ता नहीं है [illegible] सुगमता से रास्ता उपलब्ध करवाया जा सके, इस संबंध मे एक विस्तृत रिपोर्ट पटवारी हल्का से मंगवाई जानी भी न्यायोचित है। जिस हेतु अलग से

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.08.05 15:38:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राज.) रायसिंहनगर

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है पत्रावली में पूर्व में प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 31.05.2022 श्रीमान तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर द्वारा भी स्पष्ट रूप से से उल्लेखित किया है कि मुरब्बाजात के पत्थर लाईन पर ही रास्ता स्वीकृत होना चाहिए। हल्का पटवारी द्वारा दिये गये नजरी नक्शा में भी धारा 69 के तहत आवेदकगण द्वारा मांगे गये रास्ते हेतु मु नं. 20 व 24 की पत्थर लाईन पर रास्ता स्वीकृत किया जाना व सुगमता से उपलब्ध होना वर्णित किया हैं चक 28 एमएल बी के मुरब्बा नं. 23 हेतु भी कोई रास्ता नहीं है, इसलिए मुरब्बा नं. 20 व 24 के मध्य पत्थर लाईन पर रास्ता स्वीकृत होने से सभी काश्तकारों के लिए सुविधा होगी। उक्त आवेदन से पूर्व भी आवेदकगण द्वारा अपने राजनैतिक दबाव से उप तहसीलदार मुकलावा से आदेश प्राप्त कर मिन जवाबकर्ता के मुरब्बा नं. 20 के मध्य से रास्ता खुलवाने की कुचेष्टा की थी, परन्तु मिन जवाब कर्ता द्वारा श्रीमान् अतिरिक्त जिला कलक्टर श्रीगंगानगर में अपील प्रस्तुत कर उप तहसीलदार मुकलावा के आदेश अपास्त करने का आदेश दिनांक 23.02.2022 प्राप्त किया था। अत जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि आवेदगण द्वारा चाहा गया अनुतोष विधिक प्रावधानों के अनुकूल रास्ता नहीं मांगे जाने के कारण प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज फरमाया जावे।

3. प्रार्थी अधिवक्ता ने दिनांक 30.08.2024 को प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 व 151 सीपीसी पेश किया जो दिनांक 13.11.2024 को न्यायहित में स्वीकार किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा संशोधित अनवान प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

4. तहसीलदार रायसिंहनगर ने अपने पत्र क्रमांक राजस्व/2022/1097 दिनांक 31.05.2022 से मौका रिपोर्ट से अवगत करवाया कि जमाबन्दी अनुसार चक 28 एमएलबी प.नं. 111/286 मु.नं. 21 कि.नं. 11/2/0.126, 12/2/0.127, 13/0.126, 14/2/0.127, 15/2/0.126, 16/1/0.228, 16/2/0.025, 17 ता 24 सालम, 25/1/0.228, 25/2/0.025, कुल 4.186 है. (2.733 है. नहरी, 0.379 है. बारानी, 0.050 है0 खाला) भूमि प्रार्थीगण किशनाराम, जगदीश, पावतीदेवी, मनफूल, विद्यादेवी, सुरजाराम पि. प्रभुराम जाति ब्राहाम्ण साकिन देह बहिब खातेदारी दर्ज रिकार्ड हैं अप्रार्थीयान भूमि चक 28 एमएलबी प.नं. 110/286 मु.नं. 20 कि.नं. 1 ता 12 सालम 13/1/0.127 कुल 3.163 है. नहरी मय खाला भूमि गुरजन्टसिंह पुत्र काकासिंह जाति जटसिख सा. देह खातेदार के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। इसी चक के प.नं. 110/286 मु.नं. 20 कि.नं. 15 ता 17 सालम, 18/1/0.127, 23/2/0.126, 24–25 सालम कुल 1.518 है. नहरी भूमि सदासुख पुत्र डूंगरराम जाति कुम्हार सा. देह के नाम दर्ज रिकार्ड हैं। इसी चक के प.नं. 110/286 मु.नं. 20 कि.नं. 14/0.253, 18/2/0.126, 19 ता 22 सालम, 23/1/0.127 कुल 1.51[illegible] 0.506 है. बारानी) स्वर्णसिंह पुत्र दलसिंह जाति जटसि[illegible] रिड़मलसार के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड [illegible] जयपुर शाखा रिड़मलसर के रा[illegible] रिकार्ड है। [illegible] 28 एमएलबी प.नं. 110/286 मु.नं. 20 कि.नं. 13/2/0.126 है. [illegible] दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीगण के खेत में आवागमन हेतु [illegible] स्वीकृतशुदा रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा अपने खेत में आवागमन हेतु चक 28 एमएलबी प.नं. 110/286 मु.नं. 20 कि.नं. 11–12–13–14–15 प्रत्येक

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.08.05 16:38:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

में डेढ़ बिस्वा उत्तरी पासा पर रास्ता की मांग की है। मौके पर चक के मु.नं. 20 व 19 के मध्य पत्थर लाईन पर चालू रास्ता है जो स्वीकृतशुद्वा नही है। इसी चालू रास्ते से चक 28 एमएलबी प.नं. 110/286 मु.नं. 20 के कि.नं. 21–22–23–24–25 प्रत्येक में डेढ़ बिस्वा यानि 0.018 है. कुल 0.090 है. दक्षिणी पासा पर रास्ता प्रार्थीगण की भूमि की पहुंच हेतु स्वीकृत किया जाना उचित प्रतीत होता है यही निकटतम दूरी पर है।

5. बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया कि प्रार्थी को अपने खेत में आने–जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है अप्रार्थी संख्या 1 की तरफ से अधिवक्ता ने कथन किया कि अगर अन्य काश्तकार के रकबे में रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो मेरे को कोई एतराज नहीं है

6. अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। तहसीलदार रायसिंहनगर की जांच रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी को अपने खेत में आने–जाने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आरटीएक्ट के तहत काश्तकार को रास्ता दिया जाने का प्रावधान है प्रार्थी द्वारा रास्ता की जो मांग की गई है जो मु.नं. 20 प.नं. 110/286 कि.नं. 11 ता 15 के मध्य से रास्ता हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है परन्तु तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा चालू रास्ते से चक 28 एमएलबी प.नं. 110/286 मु.नं. 20 के कि.नं. 21 ता 25 प्रत्येक में डेढ–डेढ बिस्वा यानि 0.018 है. कुल 0.090 है. दक्षिणी पासा पर रास्ता प्रार्थीगण की भूमि में पहुंच हेतु स्वीकृत करने की अनुशषां की है यही निकटतम दूरी पर है। विधि प्रावधान अनुसार मुरब्बा के मध्य में रास्ता स्वीकृत नहीं किया जा सकता है अतःतहसीलदार रायसिंहनगर की अभिशंषा के आधार पर रास्ता स्वीकृत किया जाना विधि संमत है।

–:आदेशः–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 स्वीकार किया जाकर चक 28 एमएलबी प.नं. 110/286 मु.नं. 20 के कि.नं. 21 ता 25 प्रत्येक में डेढ–डेढ बिस्वा यानि 0.018 है. कुल 0.090 है. दक्षिणी पासा पर **गैरमुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार रायसिंहनगर मुआवजे के तौर पर रास्ता में आने वाली भूमि की डीएलसी दर की दुगुनी राशि प्रार्थीगण से प्राप्त कर अप्रार्थीगण को दिलवाये।** निर्णय की प्रति तहसीलदार रायसिंहनगर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर
जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान

निर्णय आज दिनांक 30.07.2025 को मेरे द्वारा [illegible] सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.08.05 15:38:24 IST
Reason: SelfAttested

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
जिला श्रीगंगानगर,राजस्थान